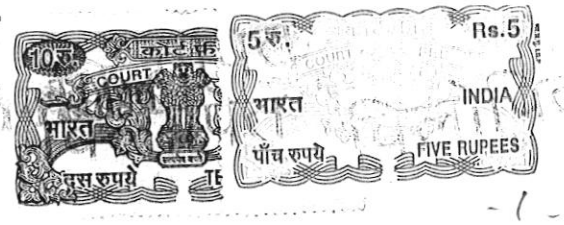

निगरानी 1240-I-15

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 पुनरीक्षण

1. मक्खनसिंह पुत्र श्री मूरतसिंह घोस
2. जमुनाप्रसाद पुत्र श्री मूरतसिंह घोस
3. मानसिंह पुत्र मूरतसिंह घोस
4. राजेन्द्र पुत्र श्री मूरतसिंह घोस

निवासीगण– ग्राम टीला, तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

——आवेदकगण

बनाम

1. अमित उर्फ पिंकू
2. नितिन उर्फ नीटू पुत्रगण सतीशचन्द गुप्ता निवासी– ग्राम निवाड़ी जिला टीकमगढ़, म0प्र0 ——अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 18/05/2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के प्रकरण कमांक 16–अ/2014–15 व उनवान अमित उर्फ पिंकू आदि ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

निगरानी प्रकरण कमांक 1240–एक/2015 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
2.1.17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त निवाड़ी तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 16/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18–5–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ राजस्व निरीक्षक, वृत्त निवाड़ी व्दारा दिनांक 15–5–15 को अनावेदकगण के स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 640 के किये गये सीमांकन एंव पारित आदेश दिनांक 18–5–15 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया है कि तहसीलदार निवाड़ी के समक्ष लम्बित प्रकरण कमांक 8 अ–70/14–15 में उभय पक्ष के बीच उक्तांकित भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा हो चुका है जिसके कारण यह निगरानी व्यर्थ हो गई है। आवेदकगण के अभिभाषक इस पर मौन रहे हैं , जिसके कारण निगरानी का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है। 3/ निगरानी प्रस्तुत करने का मूल आधार यह है कि जब राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 15–5–15 को मौके पर जाकर अनावेदकगण की भूमि का सीमांकन किया तब आवेदकगण के मेढ़िया कास्तकार होने के वाद भी सूचना नहीं दी। इसके विपरीत अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदकगण को राजस्व निरीक्षक व्दारा किये जा रहे सीमांकन की जानकारी रही है क्योंकि राजस्व निरीक्षक की टीप के अनुसार आवेदकगण मौके पर उपस्थित रहे हैं । सीमांकन किये जाने वाली भूमि के नजदीक की भूमि पर बैठकर नप्ती देखते रहे हैं तथा अनावेदक की भूमि का 0.028 आरे के उत्तरवारी भाग पर आवेदकगण का कब्जा मिला है जिसके

कारण आवेदकगण यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्व निरीक्षक व्दारा की गई सीमांकन कार्यवाही के अवलोकन पर पाया गया है कि राजस्व निरीक्षक ने अनावेदकगण की भूमि का परिमाप सही किया है यदि आवेदक यह समझते हैं कि उनके स्वत्व व स्वामित्व की भूमि विचाराधीन सीमांकन से प्रभावित हुई है तब वह निजी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक, वृत्त निवाड़ी तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 16/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18–5–15 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य